FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0098 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/05/2024 20:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 22/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 22/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:45 बजे **Time To (समय तक):** 16:10 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/05/2024 **Time (समय):** 18:45 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/05/2024 20:20:37 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 550 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** 3 C 58, DAYA APARTMENT, SARDARPURA, UDAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AASHUTOSH SINGHAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ASHOK KUMAR SINGHAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DENDEWAJ BHAWAN, PHADIYA ROAD, BHUSAWAR, BHARTPUR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DENDEWAJ BHAWAN, PHADIYA ROAD, BHUSAWAR, BHARTPUR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8094219842

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANSUL MATHHA		पिता:DINESH KUMAR MATHHA	1. 580 A,SECTOR 11,HIRAN MAGRI,UDAIPUR,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	SAMEER MATHHA		पिता:ASHOK KUMAR MATTHHA	1. 3/96,SECTOR 14,GOVERDHAN VILLAS,UDAIPUR,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय , वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 21.05.2024 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह दीगर अनुसंधान के क्रम में जिला राजसमन्द गया हुआ था इसी दौरान समय करीबन 11.14 एएम पर परिवादी डॉ. आशुतोष कुमार सिंघल के द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दुरभाष अवगत कराया कि मैं डॉ. आशुतोष कुमार वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, उदयपुर पर पदस्थापित हु। मुझसे डॉ. अंशुल मट्ठा हाल जिला क्षय अधिकारी, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, उदयपुर द्वारा जबरन दबाव बनाकर मेरे कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल पर पदस्थापन के दौरान हॉस्पीटल व मरीजो के लिये क्रय किये गये फिनाईल के बिलो की ऑडिट रिपोर्ट का समायोजन करने की एवज में रिश्वत राशि 30,000/- रुपये की मांग कर रहा है। जिस पर मैंने आपके विभाग के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कॉल कर उक्त बात बताई तो उन्होने मुझे आपके नम्बर दिये है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को श्री सुरेश कानि के मोबाईल नम्बर देकर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि श्री सुरेश को परिवादी के ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होने पर गोपनियता बरतते हुए ब्यूरो इकाई पर ही मुकिम रखे। तत्पश्चात समय करीबन 02.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होकर श्री सुरेश कानि को कार्यालय में तलब कर परिवादी के बारे में पूछा गया तो परिवादी उपस्थित नही होना बताया। तत्पश्चात समय करीब 02.26 पीएम पर परिवादी का फोन श्री सुरेश कानि के मोबाईल पर आने पर श्री सुरेश कानि द्वारा परिवादी को ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जिस पर समय करीब 02.45 पीएम पर परिवादी डॉ. आशुतोष कुमार ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुआ एवं एक लिखित रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि "मैं डॉ. आशुतोष कुमार सिंघल वर्तमान में जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल उदयपुर मे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हू। पूर्व में मैं इसी अस्पताल में जिला क्षय अधिकारी के पद पर कार्यरत था। इसी दौरान मेरे द्वारा सराकरी नियमों के तहत अस्पताल व मरीजों हेतु फिनाईल का कार्य किया गया था। जिसमें क्रय विक्रय के समस्त नियमों का पालन किया गया था एवं उसका ईन्द्राज स्टोक रजिस्टर में किया गया था। लेकिन वर्तमान में डॉ. अंशुल मट्ठा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए मेरे उपर दबाव बनाकर एवं धमका कर इसी फिनाईल के लिए अवैध रूप से रिश्वती में 30,000 रूपये की मांग कर रहे है। जो मै रिश्वत नही देकर उपरोक्त डॉक्टर साहब को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी की कानूनी कार्यवाही करना फरमावे।" परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दरियाफ्त की गई तो परिवादी द्वारा अवगत कराया कि मैं कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, उदयपुर पर दिनांक 25-7-2022 से 26.7.2023 तक पदस्थापित रहा था, मेरे पदस्थापन के दौरान हॉस्पीटल एवं मरीजो के लिये फिनाईल की 400 बोतले नियमानुसार क्रय की गई। जिसका स्टॉक रजिस्टर में भी इन्द्राज किया गया था। डॉ. अंशुल मट्ठा जो अभी कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, उदयपुर में जिला क्षय अधिकारी के पद पर पदस्थापित है के द्वारा अब मुझे उक्त क्रय की गई फिनाईल की बोतलो के बारे में कह रहे है कि आप द्वारा कम फिनाईल की बोतल क्रय की गई थी आप मुझे 30,000/- रूपये दे दो मैं सब सेटल कर दुंगा। जबकि मेरे द्वारा जो बोतले क्रय की गई थी वो सब नियमानुसार क्रय की जाकर स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया गया, मैं डॉ. अंशुल को रिश्वत राशि नही देना चाहताहू और उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू । परिवादी की रिपोर्ट एवं मजीद पूछताछ से मामला टेप कार्यवाही का पाया गया। समय 03.00 पीएम पर श्री सुरेश कानि को कार्यालय में तलब कर परिवादी डॉ. आशुतोष कुमार सिंघल से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही के क्रम में रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि अभी डॉ. अंशुल मट्ठा कार्यालय जिला क्षय

निवारण केन्द्र हाथीपोल पर मिल जायेगे। जिस पर श्री सुरेश कानि से कार्यालय की अलमारी में रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को मंगवाया जाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया को समझाया गया एवं श्री सुरेश कानि से ही नया मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में डलवाया गया एवं परिवादी के साथ श्री सुरेश कानि को मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल की ओर रवाना किया गया। समय करीब 03.45 पीएम पर परिवादी व श्री सुरेश कानि मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के उपस्थित कार्यालय हुए। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री सुरेश कानि द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत कर बताया कि 'मैं व परिवादी ब्यूरो इकाई से रवाना होकर कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल के पास पहुचें जहा समय करीबन 03.21 पीएम पर मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को दिया व मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र की तरफ रवाना किया मैं आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी के इन्तजार में रहा। कुछ ही देर बाद परिवादी मेरे पास आया और डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे दिया, जिसे मैंने बन्द कर अपने पास रखा, उसके बाद परिवादी ने बताया कि डॉ. अंशुल मट्ठा अभी कार्यालय में नही है। जिस पर आरोपी की लोकेशन की जानकारी के लिये परिवादी के मोबाईल नम्बर 8094219842 से आरोपी के मोबाईल नम्बर 9509567788 पर मोबाईल का लाउडस्पीकर मोड आॅन कर कॉल करवाया गया जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई, परिवादी व आरोपी के मध्य परिवादी के काम से संबंधित वार्ता हुई एवं आरोपी ने कहा कि आज तो मेरे कोई फैमली फंक्शन है कल कार्यालय में मिलकर बात करने की बात हुई। इसी वार्ता के तुरन्त बाद ही संदिग्ध डॉ. अंशुल का व्हाट्सएप वाईस कॉल परिवादी के मोबाईल पर आया, परिवादी के मोबाईल का लाउडस्पीकर मोड आॅन कर उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई, आरोपी ने वार्ता के दौरान परिवादी से रिश्वत राशि 25,000/- रूपये मांग की गई। उसके बाद मैं व परिवादी वहाॅ से रवाना होकर कार्यालय पर उपस्थित आये।' जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से पूछताछ कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो कानि एवं परिवादी के बताये गये उपरोक्त तथ्यो की पुष्टि हुई, किन्तु स्पष्ट रिश्वती राशि मांग ओर करना आवश्यक होने से दिनांक 22.05.2024 को संदिग्ध डॉ. अंशुल द्वारा परिवादी को बुलाया है, आयन्दा एक बार ओर रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना नियत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 22.05.2024 को समय करीब 01.10 पीएम पर परिवादी के उपस्थित आने पर पुनः रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु परिवादी व श्री सुरेश कानि को मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल की तरफ रवाना किया। समय करीब 02.20 पीएम पर परिवादी व श्री सुरेश कानि मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के उपस्थित कार्यालय हुए। श्री सुरेश कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत कर बताया कि 'मैं व परिवादी ब्यूरो इकाई से रवाना होकर कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल के पास पहुचें , जहा मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया को समझाकर समय करीब 01.35 पीएम पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को देकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल की तरफ रवाना किया मैं आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी के इन्तजार में रहा। करीब आधे घण्टे बाद परिवादी मेरे पास आया और डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे दिया, जिसे मैंने बन्द कर अपने पास रखा, परिवादी ने बताया कि कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र के डॉ. अंशुल के कार्यालय कक्ष में गया जहा पर मेरी डॉ. अंशुल से वार्ता हुई तो उन्होने मुझे फिनाईल वाले मेटर फाईनल करने की एवज में 30,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास अभी 25,000/- रुपये ही है ओर रूपये मेरे घर पर होना बताया। तो उसने मुझे तीन चार बजे के आस पास सेंट पोल स्कूल सरदारपुरा के पास मिलने हेतु कहा। मैंने उसको कहा कि मैं सेंट पोल स्कूल सरदारपुरा कहाॅ है नही जानताहू तो उसने मुझे कहा कि मैं तेरे मोबाईल पर लोकेशन भेज रहाहू तुम तीन चार बजे वही मिलना। उसके बाद हम दोनो कार्यालय में उपस्थित हुए।' जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से पूछताछ कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी व श्री सुरेश कानि द्वारा बताये गये तथ्यो की पुष्टि हुई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 25,000/- रुपयो के बारे में पूछा तो परिवादी द्वारा अपने घर पर होना बताने से परिवादी को अविलम्ब घर जाकर रूपयो को लाकर उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया। समय करीब 02.30 पीएम ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु मुख्य कार्यकारी जिला परिषद् उदयपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री अशोक कुमार कानि 07 को रवाना किया। समय करीब 02.45 पीएम कार्यालय जिला परिषद उदयपुर से तलब शुदा दो स्वतंत्र गवाह श्री गोपाललाल लौढा पुत्र स्व. श्री किशनलाल लौढा जाति जैन, उम्र 52 वर्श, निवासी 141, गोकुलविलेज, तितरडी, पुलिस थाना सवीना, उदयपुर हाल सहायक प्रषासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद उदयपुर एवं श्री नितिन कुमार भावसार पुत्र श्री ललित कुमार भावसार उम्र 37 वर्ष निवासी गौतमेष्वर रोड वार्ड नं. 13, अरनोद रोड जिला प्रतापगढ हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला परिषद उदयपुर मय मनोनित गवाह पत्रांक 4050 दिनांक 22.05.2024 की फोटोप्रति के उपस्थित कार्यालय आये। समय करीब 03.10 पीएम पर परिवादी डॉ. आशुतोष कुमार के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने पर स्वतंत्र गवाहान का परिवादी से आपस में करवाया गया एवं परिवादी की लिखित रिपोर्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट स्वंय की हस्तलिपि में होकर उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होने की ताईद की।

दोनो स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर करवाये गये एवं परिवादी के समक्ष ही डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओ के मुख्य अंश को चलाकर सुनाया गया तो हर दोनो गवाहो द्वारा भी रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की। समय करीब 03.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित कर श्री मनोज कुमार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी में रखी फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को मंगवाकर अखबार बिछाकर अखबार के उपर परिवादी द्वारा प्रस्तुत समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री गोपाललाल लोढा से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोेफ्थेलीन लगे हुए नोटों को श्री मनोज कुमार वरिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात श्री टीकाराम कानि से ट्रेप बाक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का साफ डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री मनोज कुमार वरिष्ठ सहायक की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनाॅफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराया। उक्त गुलाबी धोवन को श्री मनोज कुमार वरिष्ठ सहायक से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार जिसके उपर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया को जलाकर नश्ट किया गया। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा को उनकी मांग अनुसार रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशिया, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री मनोज कुमार वरिष्ठ सहायक से दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा उक्त कार्यवाही में सम्मिलित सभी सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप टीम सदस्यो का आपस में परिचय करवा कर परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे एवं उक्त ईशारें के बारें में ट्रेप टीम के सदस्यो को अवगत कराया गया। समय करीब 04.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को उसकी निजी कार से श्री सुरेश कानि मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के सेंट पोल स्कूल सरदारपुरा की तरफ रवाना कर पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री गोपाललाल व श्री नितिन कुमार मय ब्यूरो टीम सउनि श्री गजेन्द्र गुर्जर, हैडकानि श्री पुष्करलाल मय सरकारी वाहन मय चालक मय ट्रेप बाक्स , लेपटाॅप, प्रिन्टर इत्यादि संसाधन के एवं कानि श्री टीकाराम व श्री मांगीलाल को निजी मोटरसाईकिल व कानि श्री दिनेश व श्री अशोक को निजी मोटरसाईकिल से रवाना सरदारपुरा की तरफ हुए। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सरदारपुरा सेन्ट पोल सिनियर सेकण्डरी स्कूल के पास पहुॅच वाहनो को रोड के साईड में खडा करवाया गया। आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा की लोकेषन जानने के लिये परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड आॅन कर कॉल करवाया तो आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा ने परिवादी को रिश्वत राशि दया अपार्टमेन्ट के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित दुकान दी होम टाउन पर श्री समीर मट्ठा को देने के लिये कहा। उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने समय करीब 04.10 पीएम पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को देकर रिश्वत राशि लेन देन वार्ता करने के लिये दया अपार्टमेन्ट के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित दुकान दी होम टाउन की तरफ रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान दया अपार्टमेन्ट के आस-पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईषारे के इन्तजार में खडे रहे। समय करीब 04.14 पीएम पर परिवादी डॉ. आशुतोष कुमार ने दुकान दी होम टाउन के बाहर आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का निर्धारित ईषारा किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो टीम के तेज-तेज कदमो से चलकर परिवादी के पास पहुॅचा। जहा पर परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो टीम के परिवादी के साथ दुकान दी होम टाउन में प्रवेष किया। परिवादी ने दुकान के अन्दर कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ इषारा कर बताया कि यही श्री समीर मट्ठा है जिसे मैंने अभी-अभी आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा के कहेनुसार

रिश्वत राशि 25,000/- रूपये दिये है जो श्री समीर मट्ठा ने उनके सामने वाली कुर्सी बैठे व्यक्ति से गिनवाये तो उस व्यक्ति ने 25,000/- रूपये होना बता, रूपयो को श्री समीर मट्ठा को दिये थे। समीर मट्ठा जी ने रूपयो को टेबल के उपर साईड में रखी किताब के निचे रखे है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि श्री सुरेश व श्री अशोक को आरोपी श्री अंशुल मट्ठा की तलाश के लिये रवाना किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री समीर मट्ठा पुत्र श्री अशोक कुमार मट्ठा उम्र 40 वर्ष निवासी 3/96, सेक्टर 14, गोवर्धनविलास, उदयपुर होना व दुकान दी होम टाउन, 3-सी, 58, दया अपार्टमेन्ट, सरदारपुरा, उदयपुर का मालिक होना बताया। उसके बाद दलाल श्री समीर मट्ठा को 25,000/- रुपये रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि डॉ. अंशुल जो मेरे रिश्ते में चचेरे भाई लगते है उन्होने मुझे दिन में फोन कर उनके स्टाॅफ के श्री आशुतोष के मोबाईल नम्बर मेरे मोबाईल पर व्हाट्सएप मैसेज से सेन्ड कर आशुतोष के मोबाईल नम्बर पर दूकान की लोकेशन भेजने व आशुतोष द्वारा 25,000/- रूपये देने पर रूपये लेकर अपने पास ही रखने के लिये कहा था। जिस पर मैंने दूकान की लोकेशन आशुतोष जी के मोबाईल नम्बर पर भेजी थी। और अभी कुछ समय पहले आशुतोष जी मेरी दुकान पर आये थे उन्होने मुुझे डॉ. अंशुल से मोबाईल पर बात कर 25,000/- रूपये दिये थे जो रूपये मैंने मेरे व्यवसायिक मित्र श्री प्रमोद जांगिड से गिनवाये थे तो उसने 25000/- रूपये होना बताया जिसे मैंने अपने हाथो से टेबल पर रखी केटलाग बुक के निचे रखे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री समीर मट्ठा के व्यवसायिक मित्र से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री प्रमोद जांगिड पुत्र श्री मातूराम जांगिड उम्र 39 वर्ष निवासी सी-402, वल्लभ एम्पायर न्यू नवरत्न काॅम्पलेक्स, पुलिस थाना सुखेर उदयपुर होना बताया। जिनको रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि इसी दी होम टाउन दूकान में मेरा भी आफिस है मैं व श्री समीर व्यवसायिक मित्र है। मैंने सोचा की जो व्यक्ति अभी इनको रूपये देकर गया है वो मेरे मित्र के व्यवसाय के रूपये है और वो कम्प्यूटर पर ड्राईंग बनाने में व्यस्त होने के कारण मुझे रूपये गिनने को कहा, मैंने रूपये को गिना जिसमें 500-500 के 50 नोट कुल 25,000/- रूपये होना बता रूपये वापस उनको दे दिये जो रूपये उन्होने अपनी टेबल पर रखी केटलाग बुक के निचे रख दिये। इन रूपयो के बारे में मुझे और कुछ पता नही। जिसके पर्चा बयान पृथक से लिये जाकर संलग्न पत्रावली किये गये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समीर मट्ठा को रूपयो के बारे में पूछा तो बताया कि डॉ. अंशुल मट्ठा मुझे कभी कभार इस प्रकार रूपये लेने को कहते है तो मैं उनका भाई होने के कारण रूपये लेकर अपने पास रख लेताहू तथा बाद में रूपयो को डॉ. अंशुल को दे देता हू । उनमें से दो तीन हजार रूपये मुझे डॉ. अंशुल खर्चा पानी के दे देता है। श्री समीर मट्ठा के मोबाईल फोन से परिवादी डॉ. आशुतोष व आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा के मध्य मोबाईल फोन पर वार्ता होने से एवं व्हाॅट्सएप मैसेज होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कानि श्री दिनेश कुमार द्वारा स्वंय के मोबाईल फोन से श्री समीर मट्ठा के मोबाईल फोन रियलमी कम्पनी के उक्त वार्ता व मैसैज से संबंधित कॉल लाग व चैट मैसेज के फोटो लिये गये। उक्त लिये गये फोटो को अकब से निकाला जायेगा। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दलाल श्री समीर मट्ठा के हाथो का धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री टीकाराम कानि से सरकारी वाहन टवेरा में रखे ट्रेप बाक्स को मंगवाकर श्री टीकाराम कानि से ही ट्रेप बाक्स में रखे साफ प्लास्टिक के दो पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर दूकान में रखे पीने के पानी के केम्पर में से पानी भरवाकर मंगवाया। उक्त गिलासो में श्री टीकाराम कानि से ट्रेप बाक्स में रखे सोडियम काॅर्बोनेट की षीषी से एक-एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनो ने स्वीकार किया। एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री समीर मट्ठा के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुष्ठ को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया। इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुष्ठ को दूसरे पारदर्शी डिस्पोसल गिलास के रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात स्वतंत्र गवाह श्री गोपाललाल से टेबल पर रखी केटलाॅग बुक के निचे तलाशी लिवायी गई तो 500-500 के कुछ नोट बरामद हुए जिन्हे हमराहियान के समक्ष श्री गोपाललाल वरिष्ठ सहायक से गिनवाया गया तो 500-500 से 50 नोट कुल 25,000/- रुपये होना बताया तथा जिनके नम्बरो को मिलान दोनो गवाहो से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेषकषी नोट से करवाया गया उपस्थित के समक्ष हुबहू निम्नानुसार होना पाया गयाः- क्रम सं. नोटो का विवरण नोटो के नम्बर 1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951803 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951807 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951808 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951824 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951825 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951826 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951827 8. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951828 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951829 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951830 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951831 12. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951832 13. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951833 14. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT

951834 15. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951835 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951836 17. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951837 18. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951838 19. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951839 20. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951840 21. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951841 22. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951842 23. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951843 24. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951844 25. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951845 26. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951846 27. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951847 28. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951848 29. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951849 30. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951850 31. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951851 32. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951852 33. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951853 34. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951854 35. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951855 36. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951856 37. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951857 38. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951858 39. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951859 40. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951860 41. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951861 42. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951862 43. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951863 44. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951864 45. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951865 46. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951866 47. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951867 48. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951868 49. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951869 50. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 WT 951870 उक्त बरामदषुदा रिश्वत राशि 500-500 के 50 नोट कुल 25,000/- रुपये को सफेद कागज में सिलचिट किया जाकर चिट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत जप्त किया गया। तत्पष्चात कानि0 श्री टीकाराम से ट्रेप बाक्स में से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर पीने के पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया। उक्त गिलास में श्री टीकाराम कानि से सोडियम काॅर्बोनेट की षीषी में से एक-एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनो ने स्वीकार किया। कपडे के चिन्दी लेकर रंगहीन घोल की गिलास मे डूबाया गया तब भी गोल का अपरिवर्तित रहा, उसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार टेबल जहा से केटलाॅग बुक के निचे से रिश्वत राशि बरामद हुई उस स्थान व केटलाॅग बुक के कवर पृष्ठ जिसके निचे रिश्वत राशि रखी गई उस स्थान पर कपडे की चिन्दी को घुमाया जाकर कपडे की चिन्दी को रंगहीन घोल में डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीषियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क TB-1 व TB-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार केटलाॅग बुक के कवर पृष्ठ जिसके निचे रिश्वत राशि रखी गई उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये, केटलाॅग बुक के कवर पृष्ट का रंग काला व लाल है व उस पर अग्रेजी भाषा में FRANKE COLLE CTIONS 2023 अंकित है, केटलाॅग बुक को सफेद कपडे की थैली सिलचिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत जप्त किया गया। सिलचिटषुदा आर्टिकल्स को ट्रेप बाक्स में सुरक्षित रखवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं फिनोफ्थलीन पाउ्डर एवं बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब करवायी जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 06.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी डॉ. आशुतोष कुमार की निशादेही से घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो टीम सदस्य मय डिटेन शुदा आरोपी श्री समीर मट्ठा मय जप्तशुदा सीलचिट आर्टिकल्स मय आवश्यक संसाधन वाहनो के रवाना ब्यूरो इकाई हुआ एवं परिवादी को ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई। ब्यूरो कार्यालय पहुॅच मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सीलचिटशुदा आर्टिकल सहायक मालखाना प्रभारी श्री टीकाराम कानिे को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये। परिवादी श्री आशुतोष कुमार ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुआ। कानि श्री सुरेश व श्री अशोक कुमार एक व्यक्ति को डिटेन कर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम डॉ. अंशुल मट्ठा पुत्र श्री दिनेष कुमार मट्ठा जाति जैन, उम्र 35 वर्ष निवासी 580-ए, हिरणमगरी, सेक्टर 11, उदयपुर हाल जिला क्षय अधिकारी, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर, उदयपुर होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डॉ. अंशुल मट्ठा से परिवादी डॉ. आशुतोष कुमार से 25,000/- रूपये किस बात के मांगे जाने के बारे मेें पूछा गया तो उसने बताया कि डॉ. आशुतोष द्वारा कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल पर पदस्थापन के दौराने 400 फिनाईल के टीन (प्रत्येक टीन पाॅच लीटर) के क्रय किये थे जिनमें ऑडिट द्वारा 120 टीन कम पाये जाने को नोट अंकित करने से उक्त ऑडिट पैरा निस्तारण कराने की एवज मैंने 25,000/- रुपये मांगे थे, जो मैंने अपने चचरे भाई श्री समीर मट्ठा को उसकी दुकान दी होम टाउन सरदारपुरा पर देने के लिये डॉ. आशुतोष को कहा था। मुझसे गलती हो गई माफ कर दो, आयन्दा ऐसी गलती नही

करूंगा। समय करीब 07.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हरदोनो स्वतंत्र गवाह मय सउनि श्री गजेन्द्र गुर्जर व कानि दिनेश मय डिटेन शुदा आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा के ब्यूरो इकाई से रवाना होकर कार्यालय क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल पहुॅच फिनोइल के क्रय व वितरण एवं ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित लेब रजिस्टर कार्यालय क्षय निवारण केन्द्र से जरिये फर्द जब्त कर उपस्थित कार्यालय आया। समय 10.20 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह व आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा के समक्ष दिनांक 21.02.2024 समय 03.21 पीएम पर परिवादी व आरोपी डॉ. अंशुल के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को श्री सुरेश कानि से लेपटाॅप से कनेक्ट करा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द व शब्द तैयार करवायी जाकर मार्क A अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। उक्त वार्ता मे परिवादी व आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होने की ताईद की एवं परिवादी ने अपनी आवाज के अलावा दुसरी आवाज डॉ. अंशुल की होने की ताईद की। समय करीब 10.40 पीएम दिनांक 21.02.2024 समय 03.27 पीएम पर परिवादी व आरोपी डॉ. अंशुल के मध्य हुई मोबाईल पर हुई वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को श्री सुरेश कानि से लेपटाॅप से कनेक्ट करा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द व शब्द तैयार करवायी जाकर मार्क A-1 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। उक्त वार्ता मे परिवादी व आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होने की ताईद की एवं परिवादी ने अपनी आवाज के अलावा दुसरी आवाज डॉ. अंशुल की होने की ताईद की। समय करीब 11.00 पीएम पर दिनांक 21.02.2024 समय 03.31 पीएम पर परिवादी व आरोपी डॉ. अंशुल के मध्य हुई मोबाईल पर जरिये व्हाॅट्सएप वाईस कॉल हुई वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को श्री सुरेश कानि से लेपटाॅप से कनेक्ट करा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द व शब्द तैयार करवायी जाकर मार्क A-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। उक्त वार्ता मे परिवादी व आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होने की ताईद की एवं परिवादी ने अपनी आवाज के अलावा दुसरी आवाज डॉ. अंशुल की होने की ताईद की। समय करीब 11.05 पीएम पर दिनांक 22.02.2024 समय 01.35 पीएम पर परिवादी व आरोपी डॉ. अंशुल के मध्य हुई रूबरू हुई रिश्वत राशि मंाग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को श्री सुरेश कानि से लेपटाॅप से कनेक्ट करा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द व शब्द तैयार करवायी जाकर मार्क A-3 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। उक्त वार्ता मे परिवादी व आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होने की ताईद की एवं परिवादी ने अपनी आवाज के अलावा दुसरी आवाज डॉ. अंशुल की होने की ताईद की। दिनांक 23.02.2024 को समय 12.50 एएम पर दिनांक 22.02.2024 समय 03.56 पीएम पर परिवादी व आरोपी डॉ. अंशुल के मध्य हुई मोबाईल फोन पर हुई रिश्वत राशि लेन देन संबंधि वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को श्री सुरेश कानि से लेपटाॅप से कनेक्ट करा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द व शब्द तैयार करवायी जाकर मार्क A-4 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। उक्त वार्ता में परिवादी व आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होने की ताईद की एवं परिवादी ने अपनी आवाज के अलावा दुसरी आवाज डॉ. अंशुल की होने की ताईद की। समय करीब 12.55 एएम पर दिनांक 22.02.2024 समय 04.10 पीएम पर परिवादी व आरोपी श्री समीर मट्ठा के मध्य रूबरू व परिवादी व आरोपी डा. अंशुल के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वक्त रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई को श्री सुरेश कानि से लेपटाप से कनेक्ट करा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द व शब्द तैयार करवायी जाकर मार्क A-5 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। उक्त वार्ता मे परिवादी व आरोपीगणो ने अपनी अपनी आवाज होने की ताईद की एवं परिवादी व आरोपी श्री समीर मट्ठा ने अपनी आवाज के अलावा दुसरी आवाज डा. अंशुल की होने की एवं आरोपी डा. अंषुल मट्ठा ने अपनी आवाज के अलवा श्री समीर मट्ठा व परिवादी की आवाज होने ताईद की। समय करीब 01.36 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कानि द्वारा ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को लेपटाॅप से कनेक्ट कर दौराने ट्रेप कार्यवाही डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओ का चार पृथक-पृथक पेनड्राईव सेनडिस्क 32 जीबी बरंग लाल व काला में काॅपी की गई। एक पेनड्राईव को सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 01.45 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कानि द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ताओ की रिकाॅडिंग हेतु ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड किगस्टन कम्पनी 32 जी.बी. बरंग लाल व काला को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर मेमोरी कार्ड के कागज के कॅवर में रखकर, कॅवर पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द जप्ती मेमोरी कार्ड मुर्तिब कर मार्क M अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामील पत्रावली की गई। समय 2.00 एएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री टीकाराम कानि द्वारा आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा हाल जिला क्षय अधिकारी, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर, उदयपुर का मोबाईल फोन एप्पल कम्पनी माॅडल एक्स.आर. जरिये फर्द जप्त किया जाकर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मोबाईल को मार्क M-1 दिया

गया। समय करीब 02.05 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री टीकाराम कानि द्वारा आरोपी डॉ. समीर मट्ठा का मोबाईल फोन रियलमी कम्पनी का माॅडल सी-25-आई जप्त किया जाकर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर मार्क M-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा पुत्र श्री दिनेष कुमार मट्ठा जाति जैन, उम्र 35 वर्ष निवासी 580-ए, हिरणमगरी, सेक्टर 11, उदयपुर हाल जिला क्षय अधिकारी, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर, उदयपुर एवं श्री समीर मट्ठा पुत्र श्री अशोक कुमार मट्ठा उम्र 40 वर्ष निवासी 3/96, सेक्टर 14, गोवर्धनविलास, उदयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भादस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से धारा 41(1) जा.फौ. की पालना की जाकर किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपीगणो का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट शामिल पत्रालवी की गई। इस प्रकार आरोपीगण डॉ. अंशुल मट्ठा जिला क्षय अधिकारी, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर, उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरपयोग कर परिवादी डॉ. आशुतोष कुमार सिंघल के द्वारा जिला क्षय अधिकारी के पद पर पदस्थापन के दौरान हॉस्पीटल व मरीजो के लिये क्रय किये गये फिनाईल के बिलो की ऑडिट रिपोर्ट का समायोजन करने की एवज में दिनांक 21.05.2024 व 22.05.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से रिश्वत राशि 30,000/- रुपये की मांग कर 25,000/- रूपये लेने हेतु सहमति देना एवं दिनांक 22.05.2024 को आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा द्वारा मांग अनुसार आरोपी के दलाल श्री समीर मट्ठा के मार्फत परिवादी से रिश्वत राशि 25,000/- रूपये ग्रहण करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.द.स. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपीगण डॉ. अंशुल मट्ठा पुत्र श्री दिनेष कुमार मट्ठा जाति जैन, उम्र 35 वर्ष निवासी 580-ए, हिरणमगरी, सेक्टर 11, उदयपुर हाल जिला क्षय अधिकारी, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर, उदयपुर एवं श्री समीर मट्ठा पुत्र श्री अशोक कुमार मट्ठा उम्र 40 वर्ष निवासी 3/96, सेक्टर 14, गोवर्धनविलास, उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराना हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय, (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर क्रमांक- दिनांक श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अ.शा.), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर (राज.) विषय- ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध डॉ. अंशुल मट्ठा हाल जिला क्षय अधिकारी, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर, उदयपुर व अन्य में बिना नंबरी एफआईआर भेजने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 21.05.2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर पर परिवादी डॉ. आशुतोष कुमार सिंघल ने उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आषय की प्रस्तुत की कि डॉ. अंशुल मट्ठा हाल टी.बी. जिला क्षय अधिकारी, जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, उदयपुर द्वारा मेरे पदस्थापन के दौरान हॉस्पीटल व मरीजो के लिये क्रय किये गये फिनाइल के बिलो की ऑडिट रिपोर्ट का समायोजन करने की एवज में रिश्वत राशि 30,000/- रुपये की मांग कर रहा है। जिस पर दिनांक 21.05.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवायी गई तो आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा द्वारा परिवादी से 30,000/- रूपये की मांग कर 25,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ। जिस पर आज दिनांक 22.05.2024 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा ने परिवादी को उसके दलाल श्री समीर मट्ठा को रिश्वत राशि देने हेतु कहाॅ जिस पर परिवादी द्वारा आरोपी के दलाल श्री समीर मट्ठा को रिश्वत राशि देने पर उसके द्वारा ग्रहण की गई। जिसे बरामद किया जाकर वजह सबूत जप्त किया गया। इस प्रकार आरोपीगण डॉ. अंशुल मट्ठा जिला क्षय अधिकारी, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर, उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरपयोग कर परिवादी डॉ. आशुतोष कुमार सिंघल के द्वारा जिला क्षय अधिकारी के पद पर पदस्थापन के दौरान हॉस्पीटल व मरीजो के लिये क्रय किये गये फिनाईल के बिलो की ऑडिट रिपोर्ट का समायोजन करने की एवज में दिनांक 21.05.2024 व 22.05.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से रिश्वत राशि 30,000/- रुपये की मांग कर 25,000/- रूपये लेने हेतु सहमति देना एवं दिनांक 22.05.2024 को आरोपी डॉ. अंशुल मट्ठा द्वारा मांग अनुसार आरोपी के दलाल श्री समीर मट्ठा के मार्फत परिवादी से रिश्वत राशि 25,000/- रूपये ग्रहण करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.द.स. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपीगण डॉ. अंशुल मट्ठा पुत्र श्री दिनेष कुमार मट्ठा जाति जैन, उम्र 35 वर्ष निवासी 580-ए, हिरणमगरी, सेक्टर 11, उदयपुर हाल जिला क्षय अधिकारी, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर, उदयपुर एवं श्री समीर मट्ठा पुत्र श्री अशोक कुमार मट्ठा उम्र 40 वर्ष निवासी 3/96, सेक्टर 14, गोवर्धनविलास, उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के विरूद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैा भवदीय विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो उदयपुर .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर, ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.द.स. में आरोपी 1. डॉ.

अंशुल मट्ठा पुत्र श्री दिनेश कुमार मट्ठा जाति जैन, उम्र 35 निवासी 580-ए, हिरणमगरी, सेक्टर 11, उदयपुर हाल जिला क्षय अधिकारी, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र हाथीपोल, महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर, उदयपुर 2. श्री समीर मट्ठा पुत्र श्री अशोक कुमार मट्ठा उम्र 40 वश् निवासी 3/96, सेक्टर 14, गोवर्धनविलास, उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस0यू0 उदयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 364 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 494-97 दिनांक 23.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 शासन उप-सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/05/2024 20:23:40

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				
2	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)